

फोन कार्यालय- 2222689  
आवास- 2223099

कुलसचिव  
Registrar



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ  
वाराणसी-221002  
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith  
Varanasi-221002

पत्रांक/Ref. कु0स0/4522 /रोबर्स/रेंजर्स/2011

दिनांक/Date: 19 जनवरी, 2011

सेवा में,

डॉ० निलय कुमार सिंह,  
प्राचार्य,  
जगतपुर पी०जी०कालेज,  
वाराणसी।

महोदय,

रोबर्स/रेंजर्स रैली के आयोजन के सम्बन्ध में दिनांक 19-01-2011 को सम्पन्न बैठक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें यह निश्चय किया गया था कि दिनांक 1/2 फरवरी, 2011 तक जनपद स्तरीय रैली एवं 4/5 फरवरी तक विश्वविद्यालय स्तरीय रैली का आयोजन कर लिया जाय जिसके क्रम में जनपद स्तरीय रैली के आयोजन हेतु अधोलिखित महाविद्यालयों को नामित किया गया तथा उनके नाम के सम्मुखांकित धनराशि जनपदीय रैली हेतु आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई।

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. अवधूत भगवान राम पी०जी०कालेज, अनपरा, सोनभद्र       | - ₹0-90,000/-   |
| 2. मुरली मनोहर टाउन रनातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया    | - ₹0-1,50,000/- |
| 3. लाल बहादुर शास्त्री पी०जी०कालेज, गुगलराय, चन्दौली | - ₹0-90,000/-   |
| 4. के०एन०पी०जी०कालेज, भदोही                          | - ₹0-90,000/-   |
| 5. के०बी०पी०जी०कालेज, मिर्जापुर                      | - ₹0-90,000/-   |
| 6. बलदेव पी०जी०कालेज, बड़ागांव, वाराणसी              | - ₹0-1,25,000/- |

विश्वविद्यालय स्तरीय रैली के आयोजन हेतु जगतपुर पी०जी०कालेज, वाराणसी को रुपये दो लाख मात्र आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई।

यह भी कि विश्वविद्यालय में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष धनराशि का आवंटन हुआ है। अतः सभी महाविद्यालय आवंटित धनराशि की सीमान्तगत ही व्यय करेंगे।

कृपया उपर्युक्त के अनुसार कार्य सम्पन्न कराने हेतु आवंटित धनराशि का चेक विश्वविद्यालय के वित्त विभाग से प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( आई०पी०आ )  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. जनपद स्तरीय रैली के आयोजन हेतु नामित महाविद्यालय के प्राचार्यों को इस आशय से प्रेषित कि वे भी उपर्युक्त कार्य को सम्पन्न कराये जाने हेतु आवंटित धनराशि का चेक विश्वविद्यालय के वित्त विभाग से प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें। रैली में प्रतियोगिता के विषयों के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा के पत्र का संलग्नक संलग्न है।

  
19.1.11  
कुलसचिव

क०क० उपाध्याय,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, उ०शि०,  
उ०प्र०, इलाहाबाद
- 2- कुलसचिव,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय  
उ०प्र०

संज्ञक दिनांक 27 जून 2003

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

विषय: वी०ए० कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को रोवर्स/रेंजर्स के प्रमाण पत्रों के आधार पर अधिमार्ग्य अंक दिया जाना।

महोदय,

मुख्यायुक्त उत्तर प्रदेश भारत स्वयंसेवा एवं गाइड एण्ड शिक्षा निदेशक माध्यमिक के पत्र संख्या टी०एस०-17/6-2003-2004 दिनांक 19 मई 2003 द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य विश्वविद्यालय/घटक/सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों में वी०ए० कक्षाओं में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को निम्न प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्न अधिमार्ग्य अंक प्रदान किया जा रहा है।

- 1- कोमल पद
- 2- ध्रुव पद
- 3- गुंज पद 05 अंक
- 4- राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र — 10 अंक
- 5- राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र 15 अंक

(2) उक्त पत्र में यह भी अवगत कराया गया है कि भारत की सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 26-11-1989 से उक्त प्रमाण पत्रों के नामों में परिवर्तन कर दिये गये हैं। परिवर्तित परीक्षार्थ/प्रमाण पत्र के नाम निम्नवत कर दिये गये हैं।

परीक्षा के पुराने नाम	समकक्ष परीक्षा के नये नाम
1- कोमल पद	प्रथम स्तंभान
2- ध्रुव पद	द्वितीय स्तंभान
3- गुंज पद	तृतीय स्तंभान

(3) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के स्तर पर स्वयंसेवा, गाइडिंग की वरिष्ठ शाख रोवर्स/रेंजर्स के रूप में कार्यरत है। जिनमें रोवर्स/रेंजर्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तथा निम्न विवरण के अनुसार परीक्षा ली जाती है-

- 1- प्रदेश
- 2- प्रदीप

निपुण

4- राष्ट्रपति पुरस्कार

(4) चूंकि पूर्व में रोवर्स/रेजर्स प्रमाण पत्रों के आधार पर कोई अधिमान्य अंक (सेटिंग) प्राविधान नहीं है अतः इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दो/एडो कक्षाओं के प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को रोवर्स/रेजर्स के निम्न प्रमाण पत्रों के आधार पर समुक्त अंकित अधिमान्य अंक प्रदान किये जायें।

1- प्रवीण 5 अंक

2- निपुण 10 अंक

3- राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र 15 अंक

(5) समस्त राज्य विश्वविद्यालय कृपया उपरोक्तानुसार अधिमान्य अंक (सेटिंग) दिये जाते हेतु आपसे अध्यादेशों में प्राविधान किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

कै०के० उपाध्याय  
विशेष सचिव

संख्या-2130/सत्तर-2-2003- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- मुख्यायुक्त, भारत रक्षाउद्योग एवं ग्राइडस एवं शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उ०प्र० को जनांक 19 दिनांक 19 मई 2003 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

कै०के० उपाध्याय,  
विशेष सचिव

संख्या-2130/सत्तर-2-2003-16(106)/03 दिनांक 27 जून 2003

पृ०सं० डिग्री विकास/6762-7232/2003-04 दिनांक 22-10-2003

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, उ०प्र०।
- 2- समस्त राजकीय महाविद्यालय, उ०प्र०।
- 3- कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश।

भवदीय

कै०के० उपाध्याय  
विशेष सचिव  
उ०प्र०, इलाहाबाद।